

सार्वजनिक उद्घोषणा
(दिवाला और दिवालिघायन संहिता, 2016ई धारा 102 के तहत)
श्री सुकांत जैन, मेसर्स एसएसजे एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ।
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, इलाहाबाद बेंच ने धारा 100 के तहत जारी आदेश सीपी (आईबी) संख्या 62/एएलबी/2024 के अंतर्गत श्री सुकांत जैन/जिनका आवासीय पता मकान संख्या 1/72, विराम खंड गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश में है, के विरुद्ध दिवालिघायन समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिनांक 12.05.2026 को दिया है (आदेश की प्रति दिनांक 16.05.2026 को प्राप्त हुई)।
श्री सुकांत जैन के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावों को प्रमाण सहित दिनांक 05.06.2026 (16.05.2026 से 21 दिन) तक समाधान पेशेवर को प्रेषित संख्या 7 में उल्लिखित पत्राचार पते पर प्रस्तुत करें।
लेनदार अपने दावे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से,कूरियर द्वारा,स्पीड पोस्ट द्वारा,पंजीकृत डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं।

व्यक्तिगत गारंटर का विवरण	
1. व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्री सुकांत जैन
2. व्यक्तिगत गारंटर का आवासीय पता	मकान संख्या 1/72, विराम खंड गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश
3. दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभिक तिथि	आदेश दिनांक 12.05.2026 को दिया (आदेश दिनांक 16.05.2026 को प्राप्त हुआ) ।
4. दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	05.06.2026 (16.05.2026 से 21 दिन)
संकल्य पेशेवर का विवरण	
5. संकल्य पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	श्री वीरेन्द्र मौर्य आईबीबीआई पंजीकरण संख्या: IBB/IIIPA-001/IP-P-02627/2021-2022/14022
6. बोर्ड के साथ पंजीकृत संकल्य पेशेवर का पता और ई-मेल	पंजीकृत पता: ई / 145, बर्य –8, कानपुर 208027, उत्तर प्रदेश, ईमेल:virendramaurya.ip@gmail.com
7. समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	28, सेक्टर 8सी,वृंदावन कॉलोनी, तेतीबाग,लखनऊ-226029, उत्तर प्रदेश ईमेल: rp.pginsolvency@zohomail.in
8. संबंधित प्रपत्र निम्न पते पर उपलब्ध है:	(ए) भारतीय दिवालिघायन एवं दिवालिघायन बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवालिघायन समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7(1) के अंतर्गत प्रपत्र बी , (बी) वेबसाइट: https://ibbi.gov.in/home/downloads

कृपया ध्यान दें कि दावे के संबंध में कोई भी झूठा या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दिवालिघायन एवं दिवालिघायन संहिता, 2016 ("संहिता") तथा अन्य लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, संहिता की धारा 101 के अनुसार, तत्काल प्रभाव से एक स्थगन लागू किया गया है, जो दिवालिघायन समाधान प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहेगा। धारा 101(2) के अनुसार, स्थगन अवधि के दौरान, किसी भी ऋण के संबंध में लंबित कोई भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही स्थगित मानी जाएगी, और कोई भी लेनदार किसी भी ऋण के संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही शुरू नहीं करेगा।

आपसे अनुरोध है कि इसका ध्यान रखें और यदि कोई दावा हो तो उसे 05.06.2026 से पहले दाखिल करें।

वीरेन्द्र मौर्य **समाधान पेशेवर****आईबीबीआई पंजीकरण संख्या:** **IBB/IIIPA-001/IP-P-02627/2021-2022/14022****एएफए 30.06.2026 तक वैध**

सार्वजनिक उद्घोषणा	
(दिवाला और दिवालिघायन संहिता, 2016 ई धारा 102 के तहत)	
श्रीमती विशाली जैन, मेसर्स एसएसजे एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ।	
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, इलाहाबाद बेंच ने धारा 100 के तहत जारी आदेश सीपी (आईबी) संख्या 64/एएलबी/2024 के अंतर्गत श्रीमती विशाली जैन , जिनका आवासीय पता मकान संख्या 1/72, विराम खंड गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश में है, के विरुद्ध दिवालिघायन समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिनांक 12.05.2026 को दिया है (आदेश की प्रति दिनांक 16.05.2026 को प्राप्त हुई)। श्रीमती विशाली जैन के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावों को प्रमाण सहित दिनांक 05.06.2026 (16.05.2026 से 21 दिन) तक समाधान पेशेवर को प्रेषित संख्या 7 में उल्लिखित पत्राचार पते पर प्रस्तुत करें। लेनदार अपने दावे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, कूरियर द्वारा, स्पीड पोस्ट द्वारा, पंजीकृत डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं।	
व्यक्तिगत गारंटर का विवरण	
1. व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्रीमती विशाली जैन
2. व्यक्तिगत गारंटर का आवासीय पता	मकान संख्या 1/72,विराम खंड गोमती नगर, लखनऊ-226010,उत्तर प्रदेश
3. दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभिक तिथि	आदेश दिनांक 12.05.2026 को दिया (आदेश दिनांक 16.05.2026 को प्राप्त हुआ) ।
4. दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	05.06.2026 (16.05.2026 से 21 दिन)
संकल्य पेशेवर का विवरण	
5. संकल्य पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	श्री वीरेंद्र मौर्य आईबीबीआई पंजीकरण संख्या: IBB/IIIPA-001/IP-P-02627/2021-2022/14022
6. बोर्ड के साथ पंजीकृत संकल्य पेशेवर का पता और ई-मेल	पंजीकृत पता: ई / 145, बर्य –8, कानपुर208027, उत्तर प्रदेश, ईमेल: virendramaurya.ip@gmail.com
7. समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	28, सेक्टर 8सी,वृंदावन कॉलोनी, तेतीबाग,लखनऊ-226029, उत्तर प्रदेश ईमेल: rp.pginsolvency@zohomail.in
8. संबंधित प्रपत्र निम्न पते पर उपलब्ध है:	(ए) भारतीय दिवालिघायन एवं दिवालिघायन बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवालिघायन समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7(1) के अंतर्गत प्रपत्र बी , (बी) वेबसाइट: https://ibbi.gov.in/home/downloads
कृपया ध्यान दें कि दावे के संबंध में कोई भी झूठा या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दिवालिघायन एवं दिवालिघायन संहिता, 2016 ("संहिता") तथा अन्य लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।	
इसके अतिरिक्त, संहिता की धारा 101 के अनुसार, तत्काल प्रभाव से एक स्थगन लागू किया गया है, जो दिवालिघायन समाधान प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहेगा। धारा 101(2) के अनुसार, स्थगन अवधि के दौरान, किसी भी ऋण के संबंध में लंबित कोई भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही स्थगित मानी जाएगी, और कोई भी लेनदार किसी भी ऋण के संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही शुरू नहीं करेगा।	
आपसे अनुरोध है कि इसका ध्यान रखें और यदि कोई दावा हो तो उसे 05.06.2026 से पहले दाखिल करें।	
वीरेन्द्र मौर्य समाधान पेशेवर आईबीबीआई पंजीकरण संख्या: IBB/IIIPA-001/IP-P-02627/2021-2022/14022 एएफए 30.06.2026 तक वैध	

सार्वजनिक उद्घोषणा
(दिवाला और दिवालिघायन संहिता, 2016ई धारा 102 के तहत)
श्री निकांत जैन, मेसर्स एसएसजे एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड, कॉर्पोरेट देनदार के व्यक्तिगत गारंटर के लेनदारों के ध्यानार्थ।
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, इलाहाबाद बेंच ने धारा 100 के तहत जारी आदेश सीपी (आईबी) संख्या 63/एएलबी/2024 के अंतर्गत श्री सुकांत जैन/जिनका आवासीय पता मकान संख्या 1/72, विराम खंड गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश में है, के विरुद्ध दिवालिघायन समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिनांक 12.05.2026 को दिया है (आदेश की प्रति दिनांक 16.05.2026 को प्राप्त हुई)।
श्री निकांत जैन के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावों को प्रमाण सहित दिनांक 05.06.2026 (16.05.2026 से 21 दिन) तक समाधान पेशेवर को प्रेषित संख्या 7 में उल्लिखित पत्राचार पते पर प्रस्तुत करें।
लेनदार अपने दावे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से,कूरियर द्वारा,स्पीड पोस्ट द्वारा,पंजीकृत डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से जमा कर सकते हैं।

व्यक्तिगत गारंटर का विवरण	
1. व्यक्तिगत गारंटर का नाम	श्री निकांत जैन
2. व्यक्तिगत गारंटर का आवासीय पता	मकान संख्या 1/72,विराम खंड गोमती नगर, लखनऊ-226010,उत्तर प्रदेश
3. दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभिक तिथि	आदेश दिनांक 12.05.2026 को दिया (आदेश दिनांक 16.05.2026 को प्राप्त हुआ) ।
4. दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	05.06.2026 (16.05.2026 से 21 दिन)
संकल्य पेशेवर का विवरण	
5. संकल्य पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या	श्री वीरेन्द्र मौर्य आईबीबीआई पंजीकरण संख्या: IBB/IIIPA-001/IP-P-02627/2021-2022/14022
6. बोर्ड के साथ पंजीकृत संकल्य पेशेवर का पता और ई-मेल	पंजीकृत पता: ई / 145, बर्य –8, कानपुर 208027, उत्तर प्रदेश, ईमेल: virendramaurya.ip@gmail.com
7. समाधान पेशेवर के साथ पत्राचार के लिए उपयोग किया जाने वाला पता और ई-मेल	28, सेक्टर 8सी,वृंदावन कॉलोनी, तेतीबाग,लखनऊ-226029, उत्तर प्रदेश ईमेल: rp.pginsolvency@zohomail.in
8. संबंधित प्रपत्र निम्न पते पर उपलब्ध है:	(ए) भारतीय दिवालिघायन एवं दिवालिघायन बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवालिघायन समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7(1) के अंतर्गत प्रपत्र बी , (बी) वेबसाइट: https://ibbi.gov.in/home/downloads

कृपया ध्यान दें कि दावे के संबंध में कोई भी झूठा या भ्रामक प्रमाण प्रस्तुत करने पर दिवालिघायन एवं दिवालिघायन संहिता, 2016 ("संहिता") तथा अन्य लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त, संहिता की धारा 101 के अनुसार, तत्काल प्रभाव से एक स्थगन लागू किया गया है, जो दिवालिघायन समाधान प्रक्रिया के पूर्ण होने तक लागू रहेगा। धारा 101(2) के अनुसार, स्थगन अवधि के दौरान, किसी भी ऋण के संबंध में लंबित कोई भी कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही स्थगित मानी जाएगी, और कोई भी लेनदार किसी भी ऋण के संबंध में कोई कानूनी कार्रवाई या कार्यवाही शुरू नहीं करेगा। आपसे अनुरोध है कि इसका ध्यान रखें और यदि कोई दावा हो तो उसे 05.06.2026 से पहले दाखिल करें।

दिनांक: 18-05-2026
स्थान: लखनऊ
वीरेन्द्र मौर्य **समाधान पेशेवर****आईबीबीआई पंजीकरण संख्या: IBB/IIIPA-001/IP-P-02627/2021-2022/14022****एएफए 30.06.2026 तक वैध**

अधिष्ठाता सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8-(1)				
जमीन, अवासरकरताओं में आईडीएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोर्मेसन सर्विसेज प्राइवेट लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईडीएफएल-एफएफएल) के अधिपति अधिकारी के रूप में नियुक्ति दिनांकीकृत के अधीनस्थित किए गए।अधिसूचना 2002 के अंतर्गत और प्राप्तीयोक्ति विधि (नॉटिस) नियमनकी 2002 के नियम 3 के साथ योजित साथ 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्वीत, कंपनी के अधिकृत अधिकारी द्वारा यहां हमने निम्न नमिा उपारकर्ताओं/रह-उपारकर्ताओं को उपर सूचना की प्रतिय की प्रिति से 80 दिवसों के अंतर सूचना में साबित शक्ति के अधिपताना हेतु एक नमिा सूचना प्रिति की गई की। उपरान्वीत नमिाति करण कीय का अधिपताना करने में निम्नमें हुई चुनई है, अतएव एतद्वारा उपरान्वीत को यथा उपरान्वयन के अधीन किया जाता है कि अवसरकरताओं में यहां हमने निम्न निम्नलिखित शर्तों का उल्लेख नियमों के नियम 8 के साथ योजित साथ अधिपताना के अधीन साथ 13(4) के अंतर्गत उपरान्वीत प्रतिय शर्तोंमें के प्रयोगान्वीत अधिव्यवह कर दिया है। उपरान्वीत को निम्नमें करण में तथा उपरान्वयन को एतद्वारा सामान्य रूप में साबित किया जाता है कि संपत्ति का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का कोई न किसी भी प्रकार का लेन-देन, यहां हमने निम्न अधिनियम/एक सति तथा यहां हमने प्रमाण हेतु आईडीएफएल-एफएफएल के अधिनियम में। उपरान्वीत को अधिनियम एवं प्रिति में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्राधान्यों की ओर अवगत किया जाता है यदि उपरान्वीत निम्न अवध इतनासा हेतु नियमित प्रिति से जुड़े प्रिति को सम्य सफल लागूनी, प्रमाण एवं उपरान्वीत यहाँ के रूप “आईडीएफएल-एफएफएल” की देन करनीमें को यथा उपरान्वीत का यथा उपरान्वीत कर देता है, तो एसी प्रिति में “आईडीएफएल-एफएफएल” द्वारा प्राप्तीयोक्ति परिसमीचीय का विधान अवध इतनासा नही किया जाएगा और “आईडीएफएल-एफएफएल” द्वारा प्राप्तीयोक्ति परिसमीचीयों के इतनासा न विधानमें कोई भली कदम नही उठाया जाएगा।				
उप-उपारकर्ताओं/रह-उपारकर्ताओं के नाम	प्राप्तीय परिसमीचीय (हिसाब सम्योति) का विवरण	कुल अवसर देयता (रु) का विवरण	मान सूचना की तिथि	अधिकृत की तिथि
श्री पति राम, श्रीमती रमा पति राम एतद्वाराइजेट (प्राप्तिपत्र नं.: IL11005422)	ग्राम कलाकर, तहसील दामागंज, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश – 243636 में स्थित गाटा संख्या 325 में शामिल 269.62 वर्ग मीटर माप की संपत्ति का वह रास्ता हिसा और माप। कुल क्षेत्रफल (वर्ग फुट में): संपत्ति का लैंड-पूरिया, सुपर-निल्ट-ऑल-पूरिया, संपत्ति क्षेत्रफल: 2902.00, 1986.00	रु. 1,25,531/- / (एकसे एक लाख पच्चीस हजार पांच सौ इकतीस मात्र)	10-02-2026	14-05-2026
अन्य विवरणों के लिये कृपया प्राप्तीयोक्ति अन्वेषी राक्षा कार्यालय : 1017, एक्सटेंडिड, सावरब हार्टलेट, टेली 2/2 और टेली 5/5, विंग्नी खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226001 अन्य कार्यालय : आईआईएफएल टॉवर, गुरुवर्ध 38, उद्यान विहार, फ्लैन्-IV, मुद्रानग, हरियाणा से संपर्क करें। स्थान : लखनऊ, दिनांक : 18-05-2026				
हस्ता./— प्राप्तीय अधिकारी, पूर्व आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड				

अन्य विवरणों के लिये कृपया प्राप्तीयोक्ति अन्वेषी **राक्षा कार्यालय** : 1017, एक्सटेंडिड, सावरब हार्टलेट, टेली 2/2 और टेली 5/5, विंग्नी खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226001 **अन्य कार्यालय** : आईआईएफएल टॉवर, गुरुवर्ध 38, उद्यान विहार, फ्लैन्-IV, मुद्रानग, हरियाणा से संपर्क करें।**स्थान : लखनऊ, दिनांक : 18-05-2026**

कच्चा सूचना		मांग सूचना तिथि एवं वृत्तांश	कच्चा तिथि
जमीन नीचे हस्ताक्षरकर्ता एसेट रिक्तदृक्खान कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय आसियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (वर्तन) नियम, 2002 (उक्त नियम) के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ता(ओं), गारंटरो और बंधकधारकों से राशि चुकाने का आह्वान किया गया है, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:			
उधारकर्ता(ओं), गारंटरो और बंधककर्ताओं द्वारा उक्त राशि वापस करने में विफल रहने के कारण, विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं), गारंटरो और बंधकधारकों और आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तरीक़ों को 'जैसा है जहां है' और जो कुछ भी है के आधार पर' नीचे वर्णित अंतर्निहित अचल संपत्ति का मौलिक कच्चा ले लिया है।			
ऋणकर्ता का नाम और गारंटरो,	एलएएन सं./दृष्ट का नाम/बैंक का नाम	मांग सूचना तिथि एवं वृत्तांश	कच्चा तिथि
ऋणकर्ता: श्रीमान/ सुश्री मामू राम (ऋणकर्ता) और श्रीमान/ सुश्री मुकेश देवी (सह-ऋणकर्ता)	14100003385/- आर्किव्ह-दृष्टर-2025-008 / पिरामल फाइनेंस	31-01-2022 तक 12,80,160.0/-रुपये (बारह लाख अस्सी हजार एक सौ साठ रुपये मात्र) साथ 01-02-2022 से उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। सूचना दिनांक: 26.02.2022	14-05-2026 / प्रतीकात्मक कच्चा

संपत्ति का विवरण : खेवट संख्या 62, खतौनी संख्या 65, ग्राम खेरी लांबा कलायत कैथल हरियाणा- 136117 में स्थित संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश। उपरोक्त संपत्ति मामू राम के स्वामित्व में है। इसे आगे "अचल संपत्ति" कहा गया है।

ऋणकर्ता: श्रीमान/ सुश्री जोगिंदर जे (ऋणकर्ता) और श्रीमान/ सुश्री बलविर दे (सह-ऋणकर्ता)	14100003219/- आर्किव्ह-दृष्टर-2025-00 8/ पिरामल फाइनेंस	दिनांक 21/08/2019 तक रु.16,54,567.0/- (सोलह लाख चौवन हजार पांच सौ सड़सठ रुपये मात्र) साथ ही 22-08-2019 से उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। सूचना दिनांक: 28.08.2019	14-05-2026 / प्रतीकात्मक कच्चा
--	---	---	--------------------------------

संपत्ति का विवरण : मुख्य खसरा संख्या 206, खतौनी संख्या 9, खामत संख्या 5, सरकारी मध्य विद्यालय के पास, बड़ा रोड, ब्रम्नगोलीला तहसील कलायत, जिला कैथल, हरियाणा-136027 स्थित संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश। उपरोक्त संपत्ति जोगिंदर जे. के स्वामित्व में है। इसके बाद इसे "अचल संपत्ति" कहा जाएगा।

ऋणकर्ता: श्रीमान/ सुश्री बलवीर बी (ऋणकर्ता) और श्रीमान/ सुश्री संजो एस(सह-ऋणकर्ता)	141000004190/- आर्किव्ह-दृष्टर-2025-008 / पिरामल फाइनेंस	31.03.2021 तक 7,55,825.0/-रुपये (सात लाख पचपन हजार आठ सौ पच्चीस रुपये मात्र) और उक्त राशि पर 01-04-2021 से संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, सध ही आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। सूचना दिनांक: 27.05.2021	14-05-2026 / प्रतीकात्मक कच्चा
--	--	--	--------------------------------

संपत्ति का विवरण : ग्राम कुरार, धुंधवा रोड, तहसील कलायत, तहसील कलायत कैथल, किला नंबर 727(1-15) कैथल कैथल हरियाणा – 136117 में स्थित संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश। उपरोक्त संपत्ति जोगिंदर जे. के स्वामित्व में है। इसके बाद इसे "अचल संपत्ति" के रूप में जाना जाएगा।

ऋणकर्ता: श्रीमान/ सुश्री धर्मेवी (ऋणकर्ता) और श्रीमान/ सुश्री विरमली (सह-ऋणकर्ता)	14100006263/- आर्किव्ह-दृष्टर-2025-008 / पिरामल फाइनेंस	दिनांक 28.07.2019 को देय राशि रु.12,48,911.0/- (बारह लाख अस्तरातीस हजार नौ सौ ग्यारह रुपये मात्र) के साथ 01-04-2021 से उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर से भविष्य का ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। सूचना दिनांक: 30.07.2019	14-05-2026 / प्रतीकात्मक कच्चा
---	---	--	--------------------------------

संपत्ति का विवरण : दी पी 0 बडसिकरी, बाजू रोड आवासीय मकान, सरकारी गर्ल्स स्कूल के पास, कैथल, कलायत कैथल, हरियाणा 136027 में स्थित संपत्ति का वह समस्त भाग और अंश। उपरोक्त संपत्ति धर्मेवीर के स्वामित्व में है। इसके बाद इसे "अचल संपत्ति" कहा जाएगा।

ऋणकर्ता: श्री/ सुश्री सतीश कुमार (ऋणकर्ता) और श्री/ सुश्री लबी एल (सह-ऋणकर्ता)	14100005921/- आर्किव्ह-दृष्टर-2025-00 8/ पिरामल फाइनेंस	दिनांक 30.09.2023 तक, रु.80,87,354.0/- रुपये (कैवल तीस लाख सतरासी हजार तीन सौ चौवन रुपये) साथ ही 01-10-2023 से उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, साथ ही आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। सूचना दिनांक: 27.10.2023	14-05-2026 / प्रतीकात्मक कच्चा
--	---	---	--------------------------------

संपत्ति का विवरण : कैथल रोड, देवेवन कजेट संख्या 78 मृत्बा संख्या 32, किला संख्या 8/2, सरकारी विद्यालय कैथल के पास ,कैथल हरियाणा – 136027 में स्थित संपत्ति का वह समस्त भाग और अंश। उपरोक्त संपत्ति सतीश कुमार के स्वामित्व में है। इसके बाद इसे "अचल संपत्ति" कहा जाएगा।

ऋणकर्ता: श्रीमान/ सुश्री जोरा सिंह (ऋणकर्ता) और श्रीमान/ सुश्री मुकेश एम (सह-ऋणकर्ता)	17800005035 -008 / आर्किव्ह-दृष्टर-2025-008 / पिरामल फाइनेंस	16.05.2019 तक 18,49,893.0/-रुपये (अठारह लाख नवचास हजार आठ सौ तिरावने रुपये मात्र) साथ ही 17-05-2019 से उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज, साथ ही आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। सूचना दिनांक: 20.05.2019	14-05-2026 / प्रतीकात्मक कच्चा
---	--	---	--------------------------------

संपत्ति का विवरण : ग्राम बाजू पीएनबी बैंक कैथल के पास, कैथल-136117 में स्थित संपत्ति सं का वह समस्त भाग एवं अंश। उपरोक्त संपत्ति जोरा सिंह के स्वामित्व में है। इसे आगे "अचल संपत्ति" कहा जाएगा।

ऋणकर्ता: श्रीमान/ सुश्री जोनी (ऋणकर्ता) और श्रीमान/ सुश्री किरण देवी (सह-ऋणकर्ता)	17800007090 / एवं आर्किव्ह-दृष्टर-2025-008 / पिरामल फाइनेंस	दिनांक 30.09.2023 तक, रु.16,83,934.0/- (सोलह लाख तिरासी हजार नौ सौ चौतीस रुपये मात्र) साथ ही 01-10-2023 से उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर से भविष्य का ब्याज, और अन्य आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। सूचना दिनांक: 27.10.2023	14-05-2026 / प्रतीकात्मक कच्चा
---	---	--	--------------------------------

संपत्ति का विवरण : खेवट संख्या 192, खतौनी संख्या 263, बीपीओ कैथेराकर, तहसील और जिला कैथल, कैथल मंदिर के पास, कैथल, हरियाणा – 136027 में स्थित संपत्ति का वह समस्त भाग और अंश। उपरोक्त संपत्ति जोनी के स्वामित्व में है। इसे आगे "अचल संपत्ति" कहा गया है।

ऋणकर्ता: श्रीमान/ सुश्री मुकेश कुमार (ऋणकर्ता) और श्रीमान/ सुश्री बबीता बी (सह-ऋणकर्ता)	14100006472/- आर्किव्ह-दृष्टर-2025-008 / पिरामल फाइनेंस	दिनांक 30.10.2021 तक रु.05,25,027.0/- (पांच लाख आठ सतरा सताईस रुपये मात्र) का ब्याज, संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज सहित, 01-11-2021 से प्रभावी आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित। सूचना दिनांक: 22.11.2021	14-05-2026 / प्रतीकात्मक कच्चा
---	---	--	--------------------------------

संपत्ति का विवरण : गली संख्या 3, गुरुद्वारा निसिंग गॉडर रोड के पास, खेवट संख्या 869, के करनाल, करनाल हरियाणा- 132024 में स्थित संपत्ति सं वाली सम्यति का वह समस्त भाग और अंश। उपरोक्त संपत्ति मुकेश कुमार के स्वामित्व में है। इसे आगे "अचल संपत्ति" कहा गया है।

ऋणकर्ता: श्री/ सुश्री दीपक शर्मा (ऋणकर्ता) और श्री/ सुश्री सीला देवी (सह-ऋणकर्ता) और श्री/ सुश्री राम पाल (सह-ऋणकर्ता)	14100005369 /आर्किव्ह-दृष्टर-2025-008 / पिरामल फाइनेंस	31.01.2022 तक 16,74,014.0/- रुपये (सोलह लाख चौहत्तर हजार चौदह रुपये मात्र) सहित उक्त राशि पर 01-02-2022 से संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज, साथ ही आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। सूचना दिनांक: 28.02.2022	14-05-2026 / प्रतीकात्मक कच्चा
--	--	---	--------------------------------

संपत्ति का विवरण : ग्राम खुराना, मलिकपुर रोड, सरगमरी हाई स्कूल के पास, शिव मंदिर के निकट, कैथल,कैथल हरियाणा: 136027 में स्थित संपत्ति का वह समस्त भाग और अंश। उपरोक्त संपत्ति दीपक शर्मा के स्वामित्व में है। इसे आगे "अचल संपत्ति" कहा गया है।

ऋणकर्ता: श्रीमान/ सुश्री मनीष (ऋणकर्ता) और श्रीमान/ सुश्री नीलम (सह-ऋणकर्ता)	14100003575/- आर्किव्ह-दृष्टर-2025-008 / पिरामल फाइनेंस	दिनांक 30.09.2023 तक रु.31,12,382.0/- रुपये (इकतीस लाख बारह हजार तीन सौ बयासी रुपये मात्र) की राशि, साथ ही 1-10-2023 से संविदात्मक दर पर उपरोक्त राशि पर भविष्य का ब्याज, आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि। सूचना दिनांक: 27.10.2023	12-05-2026 / प्रतीकात्मक कच्चा
--	---	---	--------------------------------

संपत्ति का विवरण : संपत्ति का वह समस्त भाग और अंश, जिसका पता खेवट संख्या 519